



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

" प्रभावी पैरवी गंभीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्तों को **05-05 वर्ष के कारावास व 30,000 हजार रु0 के अर्थ दंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत अ0सं0-927/2013 धारा- 308,323,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय ई.सी.कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा अभियुक्तगण **1.मुन्ना गुरू पुत्र महबूब अहमद 2. हामिद पुत्र महबूब अहमद 3.दानिश रहमान पुत्र अब्दुल रहमान** निवासीगण हुसैनिया थाना मौदहा हमीरपुरको **05-05 वर्ष के कारावास व रु10,000-10,000 रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित** किया गया।



एडीजीसी
सुभाष श्रीवास्तव



विवेचक उ0नि0
जयशंकर राय



पैरोकार मौदहा
का0 शुभम यादव